न्यायालय सत्र न्यायाधीश, मेड़ता (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी- अरूण कुमार बेरीवाल, (जिला न्यायाधीश संवर्ग)
सेशन प्रकरण संख्या 35/2023
CIS NO 35/2023

राजस्थान राज्य जरिये लोक अभियोजक, मेडता

::विरूद्ध::

मांगीलाल पुत्र केवलराम निवासी जाखड़ो का बास, भोपालगढ़, पुलिस थाना भोपालगढ़, जिला जोधपुर।

---अभियुक्त

अपराध अन्तर्गत धारा 302, 365 भारतीय दण्ड संहिता।

...

उपस्थित-
1. श्री अभिमन्यु शर्मा, लोक अभियोजक वास्ते राज्य
2. श्री बलराम बेड़ा, अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त।

...

::निर्णय::

दिनांक 30.03.2026

1. प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि- प्रार्थी लक्ष्मण सिंह पुत्र मंशीराम, आयु 48 वर्ष, निवासी डेगाना गांव, पुलिस थाना डेगाना, जिला नागौर ने एक हस्तलिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 पुलिस थाना, डेगाना में इस आशय की पेश की कि- दिनांक 25.01.2023 को सुबह 8 बजे उसे सुचना मिली की उसके गांव के बाहर की तरफ डेगाना शहर को जाने वाली सड़क के पास में एक छोटे बालक की लाश पड़ी हुई है। जिस सुचना पर वह मौके पर गया और उसने देखा की पत्थरों के ढ़ैर के पास में एक छोटे बच्चे की लाश पड़ी हुई थी। उस बच्चे का दाहिना कान कटा हुआ था एवं खुन आया हुआ था। मौके पर गांव के ओर लोग भी मौजुद थे, जिन्हें पूछने पर पता चला कि शांतीप्रकाश गरूड़ा का भाणजा मांगीलाल पुत्र केवलराम निवासी भोपालगढ़ उक्त बच्चे को लेकर कल दिनांक 24.01.2023 को शााम के समय गांव में घुम रहा था। जिसके 1-2 घंटे के बाद वह छोटा बच्चा उसके पास में नहीं था। मांगीलाल ने उस छोटे बच्चे को मारकर सड़क के पास पत्थर की ढ़ैरी पर फैंक करके चला

गया है। जिसकी सुचना उसने पुलिस को दी थी एवं पुलिस मौके पर आई थी।

2. उक्त रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना डेगाना पर मुकदमा संख्या 25/2023 धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता में दर्ज कर आवश्यक अनुसंधान के पश्चात अभियुक्त के विरूद्ध धारा 302, 365 भारतीय दण्ड संहिता के अपराधों में आरोप पत्र संबंधित न्यायालय में पेश किया। प्रकरण अनन्य रूप से सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय होने से हस्तगत प्रकरण इस न्यायालय में स्थानांतरित किया गया।

3. आरोप पत्र के आधार अभियुक्त मांगीलाल को अपराध अन्तर्गत धारा 302, 365 भा.दं.सं. के आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया एवं समझाया गया, जिसे सुन समझकर अभियुक्त ने आरोपों से इंकार किया और अन्वीक्षा चाही।

4. अभियुक्त पर आरोपित अपराध को साबित करने हेतु अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य के रूप में पी.डब्ल्यू. 1 लक्ष्मणसिंह, पी.डब्ल्यू. 2 रमेश, पी.डब्ल्यू. 3 सोनी देवी, पी.डब्ल्यू. 4 सुखराम, पी.डब्ल्यू. 5 दीपक मीण, पी.डब्ल्यू. 6 अकबर हुसैन, पी.डब्ल्यू. 7 गुलाम स्या, पी.डब्ल्यू. 8 डॉ. जीवण चौधरी, पी.डब्ल्यू. 9 गीतादेवी, पी.डब्ल्यू. 10 शांतिप्रकाश, पी.डब्ल्यू. 11 चन्द्रप्रकाश, पी.डब्ल्यू. 12 अर्जुनलाल, पी.डब्ल्यू. 13 गीतादेवी, पी.डब्ल्यू. 14 रामतजीलाल, पी.ड. 15 सुखराम चोटिया, पी.ड. 16 नरेन्द्र जाखड़ को परीक्षित करवाये गये तथा प्रलेखीय साक्ष्य में प्रदर्श पी 1 लगायत प्रदर्श पी 38 को प्रदर्शित करवाया।

5. अभियुक्त को धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत परीक्षित किया गया, जिसमें अभियुक्त ने अभियोजन साक्ष्य को गलत होना बताते हुए अभियुक्त ने अपने को निर्दोष होना बताया। प्रतिरक्षा में कोई साक्ष्य पेश नहीं की।

<u>विचारणीय बिन्दु</u>

6. उभय पक्ष की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। इस प्रकरण के निस्तारण हेतु न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय बिन्दु है:-

"क्या अभियुक्त ने दिनांक 24.01.2023 को रेलवे स्टेशन डेगाना पर से शाम के किसी समय रमेश पुत्र जगु जाति सोनार निवासी

सिविल गेट रेलवे स्टेशन के बाहर झुग्गी झोंपड़ी गोरखपुरा (उत्तरप्रदेश) हाल ख़ानाबदोश रेलवे स्टेशन डेगाना के एक छोटे बच्चे, जो लगभग तीन माह की आयु का था, का गुप्त रीति से और सदोष परिरोध करने के आशय से उसका व्यपरण किया एवं व्यपरण करने के बाद उसकी साशय हत्या कारित कर दी? "

7. विद्वान लोक अभियोजक की ओर से बहस है कि अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध प्रमाणित है। प्रकरण में परीक्षित समस्त गवाहान ने अभियोजन कहानी की ताईद की है। अत: अभियुक्त को आरोपित अपराधों में दोषसिद्ध किया जावे।

8. विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से लिखित बहस में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत गवाहान की साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध प्रमाणित नहीं होते है एवं अभियोजन ने अपना पक्ष संदेह से परे साबित नहीं किया है। इसके परे अधिवक्ता अभियुक्त ने कथन किया कि प्रकरण में कोई चक्षुदर्शी गवाह व लास्ट सीन का गवाह नहीं है, प्रकरण में हत्या का कोई आशय अभियोजन साबित नहीं कर पाया है, प्रकरण में जब्ती व चिकित्सीय साक्ष्य संदेह से परे साबित नहीं हुए हैं। अत: अभियुक्त को आरोपित अपराधों से दोषमुक्त किया जावे। अपने तर्कों के समर्थन में अधिवक्ता अभियुक्त ने अपनी लिखित बहस में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किए जिनका ससम्मान अवलोकन कर मार्गदर्श प्राप्त किया-

1- सामघाजी हरीबा पाटिल बनाम कर्नाटक राज्य आपाराधिक अपील संख्या 444/2006 निर्णय दिनांक 19.10.2006

2- वैभव बनाम महाराष्ट्र राज्य 2025 INSC 800 आपराधिक अपील संख्या 1643/2012 निर्णय दिनांक 04.06.2025

3- परमजित सिंह उर्फ पम्मा बनाम उतराखण्ड राज्य 2011 AIR (S.C.) 200

4- रामु अप्पा महापात्र बनाम महाराष्ट्र राज्य 2025 INSC 147

5- शरद बिरधी चन्द्र सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य (1984)4 SCC 116

6- कालुराम गुर्जर एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य 2017(3) RLW 2621(Rajasthan)

7- गुना महत्व बनाम झारखण्ड राज्य आपाराधिक अपील संख्या 108/2012 (2023 2 Supreme 751) दिनांक 16.03.2023

9. उक्त विचारणीय बिन्दु के संबंध में अभियोजन की ओर से जो साक्ष्य पेश की गई है, वो निम्न प्रकार से है-

10. **गवाह पी.ड. 1 लक्ष्मणसिंह** ने मुख्य परीक्षा में बताया कि वह दिनांक 25.01.2023 को सुबह करीब 8 बजे उसे गांव वालों ने सूचना दी कि डेगाना गांव से डेगाना जंक्शन को जाने वाली सड़क पर पत्थरों के ढेर के पास एक बालक की लाश पड़ी है। उक्त सूचना पाकर वह मौके पर पहुंचाए तो उसने देखा कि वहां गांव वाले पहले से एकत्रित हो रखे थे व पास में ही पत्थरों के पास 5-6 माह के एक बालक की एक लाश पड़ी थी। उसका दांया कान कटा हुआ था, खून आया हुआ था, उक्त बालक मृतावस्था मे था। फिर गांव वालों ने बताया कि डेगाना गांव का भांजा मांगीलाल जो 24 तारीख की रात्रि को अपने साथ एक बालक को लेकर घूम रहा था व इसके 2 घंटे बाद ही उक्त मांगीलाल गांव मे ही बिना बच्चे के घूम रहा था। फिर उन्हें मांगीलाल पर उक्त बच्चे की हत्या का शक होने पर पुलिस को सूचना दी व घटना की रिपोर्ट उसने पुलिस थाना डेगाना मे दी थी, रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। चाक एफआईआर प्रदर्श पी 2 है। मृतक बालक का नाम उसे पता नही, उसके परिवार वाले आये थे। पुलिस ने उसके सामने मृतक बालक की फर्द सूरतहाल लाश मूर्तिब की, उस वक्त उसका दांया कान कटा हुआ था व इसके पास ही 3-4 जगह खून की छींटे लगे हुए थे, फर्द सूरतहाल प्रदर्श पी 3 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। बाद मे मृतक बालक के नाम का पता चला, उसका नामकरण पुत्र रमेश था। पुलिस ने उसके सामने मृतक बालक करण की लाश का पंचनामा बनाया, फर्द पंचनामा लाश प्रदर्श पी 4 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। बाद पोस्टमोर्टम करण की लाश को उसके पिता रमेश को वास्ते अंतिम संस्कार सुपूर्द किया गया, फर्द सुपूर्दगी लाश प्रदर्श पी 5 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। पुलिस मौके पर आई व घटनास्थल स्थल का निरीक्षण कर फर्द नक्शा मौका व हालात मौका मूर्तिब किया, जो प्रदर्श पी 6 है, जिस पर ए से बी उसके

हस्ताक्षर है। पुलिस ने उसके सामने घटनास्थल से तीन खून आलूंदा पत्थर जब्त कर कपड़े की थैली में डालकर सीलमोहर कर मार्क ए अंकित किया, फर्द जब्ती खून आलूंदा पत्थर प्रदर्श पी 7 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है, एक्स स्थान पर नमूना सील अंकित है। पुलिस ने घटनास्थल से सादा मिट्टी जब्त कर कपड़े की थैली में डालकर सीलमोहर कर मार्क बी अंकित किया, फर्द जब्ती मिट्टी प्रदर्श पी 8 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है, एक्स स्थान पर नमूना सील अंकित है। पुलिस ने उसके सामने मृतक बालक करण का खून आलूंदा टोपीनुमा ऊनी जैकेट जब्त कर सफेद कपड़े की थैली मे डालकर सीलमोहर कर मार्क सी अंकित किया, फर्द जब्ती खून आलूंदा जैकेट प्रदर्श पी 9 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है, एक्स स्थान पर नमूना सील अंकित है। मुलजिम मांगीलाल डेगाना गांव निवासी शांतिप्रकाश गरूड़ा का भांजा है, जो 17-18 वर्षों तक डेगाना गांव मे रहा था तथा उक्त शांतिप्रकाश का मकान उसके घर के बिल्कुल सामने पास मे ही स्थित है इसलिए वह मांगीलाल को जानता है।

11. गवाह प्रतिपरीक्षा में बताता है कि मांगीलाल को उस बालक के साथ घूमते हुए होने की बात उसे मामा शांतिप्रकाश, मामी गीतादेवी, धन्नाराम, लाल मोहम्मद ने बताई थी। वह जब मौके पर पहुंचा तब वहां 40-50 लोग एकत्रित हो रखे थे। उसके द्वारा पुलिस को मौके पर बुलाया गया था। यह कहना गलत है कि उसने प्रदर्श पी 3 लगायत प्रदर्श पी 9 पर एक साथ, एक जगह हस्ताक्षर किये हो, स्वयं कहा कि उसने उक्त फर्दोतों पर वक्त कार्यवाही अलग-अलग स्थानों पर मौके पर हस्ताक्षर किये थे। यह कहना गलत है कि मामा शांतिप्रकाश चुनावों के दौराने उसके विपक्षी पार्टी में रहा हो। यह कहना गलत है कि उसके व शांतिप्रकाश के आपस में नहीं बनती हो, स्वयं कहता है कि वो उसके भाई की तरह है। यह कहना गलत है कि उसकी शंतिप्रकाश से रंजिश हो, जिस कारण उसने शांतिप्रकाश के भांजे मुलजिम मांगीलाल के विरूद्ध गलत रिपोर्ट दर्ज् करवाई हो। यह गवाह प्रतिपरीक्षा के दौरान अपनी मुख्य परीक्षा से विचलित नहीं हुआ है।

12. **गवाह पी.ड. 2 रमेश** ने मुख्य परीक्षा में बताया कि वह गोरखपुर, उत्तरप्रदेश

का निवासी है। वह शादीशुदा है, उसकी पत्नी का नाम सोनी देवी है। उसके चार संताने थी, जिनमें से एक पुत्र कर्ण की हत्या हो गई, अब तीन संतानें है। जनवरी, 2023 की बात है, उस वक्त उसकी पत्नी व उसके बच्चे डेगाना रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म संख्या 2 पर बैठे थे, वह भीक्षा मांगने डेगाना बाजार में गया हुआ था। फिर वह वापस शाम को 5 बजे भीक्षा मांगकर प्लेटफॉर्म संख्या 2 पर आया तो वहां उसका बेटा कर्ण मौजूद नही था, उसकी पत्नी उस वक्त तबीयत सही नही होने के कारण सो रही थी व कर्ण के अलावा उसकी तीन अन्य संताने वहीं पास मे बैठी थी। कर्ण 5 महिने की आयु का था। फिर उसने व उसकी पत्नी ने उसने बेटे कर्ण को खूब ढूंढा, रात्रि करीब 11 बजे तक ढूंढते रहे किंतु वो नही मिला। फिर वह सुबह थाने मे गये व थाने मे उक्त सारी बात बताई, तब पुलिस ने उसके बेटे कर्ण की फोटो उसे उनके फोन मे बताई, जिस पर उसके कहा कि यह तो उसका बेटा कर्ण है, तब पुलिस ने उसे बताया कि उसकी हत्या हो गई है, फिर पुलिस ने उसे उसके बेटे कर्ण की लाश दिखाई, उसके उस वक्त दांये कान पर खून आया हुआ था। बाद में उसे पता चला कि मुलजिम मांगीलाल ने उसके बेटे कर्ण की हत्या कर दी है। पुलिस ने उसके सामने उसके बेटे कर्ण की लाश की फर्द सूरतहाल व फर्द पंचनामा बनाया, जो क्रमशः प्रदर्श पी 3 व पी 4 हैं, जिन पर कमशः एक्स स्थान पर उसकी अंगुठा निशानी है। उसके बेटे कर्ण की लाश को बाद पोस्टमोर्टम वास्ते अंतिम संस्कार उसे सुपूर्द किया था, फर्द सूपूर्दगी प्रदर्श पी 5 है, जिस पर एक्स स्थान पर उसकी अंगुठा निशानी है

13. गवाह प्रतिपरीक्षा में स्वीकार करता है कि वह मांगीलाल को नहीं जानता है। उसे अगले दिन सुबह एक आदमी ने उसके बेटे कर्ण को मांगीलाल के साथ देखने की बात बताई थी। यह कहना गलत है कि पुलिस ने प्रदर्श पी 3, पी 4, पी 5 उस समय उसे पढ़कर नहीं सुनाई हो, स्वयं कहता है कि पुलिस ने लिखापढ़ी उसे सुनाई थी, जो उसे आज याद नहीं है, क्यांकि वह अपने बेटे की हत्या के बारे में सुनकर सुध-बुध खौ बैठा था। पुलिस ने उससे पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। उसके उसके पुत्र को अंतिम बार अस्पताल में

मोर्चरी में देखा था। यह सही है कि मांगीलाल ने उसके बेटे कर्ण को मारा, यह बात वह पुलिस व लोगों के कहने पर बता रहा है। यह कहना गलत है कि मुलिजम ने उसके पुत्र की हत्या नहीं की हो और वह मुलिजम मांगीलाल को गलत रूप से फंसाने के लिए झूठे बयान दे रहा हो। यह गवाह प्रतिपरीक्षा के दौरान अपनी मुख्य परीक्षा से विचलित नहीं हुआ है।

14. **गवाह पी.ड. 3 सोनी देवी** ने मुख्य परीक्षा मे बताया कि वह गोरखपुर, उत्तरप्रदेश की रहने वाली है। वह शादीशुदा है, उसके पति का नाम रमेश है। उसके तीन पुत्र व एक पुत्री थी, जिनमें से एक पुत्र कर्ण की हत्या हो गई, अब तीन संतानें है। आज से करीब सवा साल पहले की बात है, उस वक्त वह प्लेटफॉर्म सं. 2 पर सो रही थी व उसके 5 महिने का बेटा कर्ण उसके पास मे ही था व उसकी शेष तीन संतानें उनके सामान के पास प्लेटफॉर्म सं. 4 पर थी। उस वक्त उसके पति भीक्षा मांगने डेगाना बाजार मे गया हुआ था। कुछ देर बाद जब वह उठी, तब उसने देखा कि उसका पुत्र कर्ण आसपास नही है, उसने कर्ण को स्टेशन पर काफी ढूंढा लेकिन वो नही मिला, फिर शाम को जब उसके पति रमेश वापस आया, तो उसने उक्त सारी बात उसे बताई, फिर उसने व उसके पति दोनो ने मिलकर कर्ण को आसपास ढूंढा लेकिन वो नही मिला। उस वक्त उसके पुत्र कर्ण की कोई फोटो उसके पास मे नही थी, उसकी फोटो नावां मे एक दुकानदार के पास थी, जो फोटो वह लेने गई थी, लेकिन फोटो नहीं मिली, जिस पर वह रात की गाड़ी से ही वापस डेगाना आ गई, फिर सुबह उसके पति ने उसे बताया कि उनके बेटे कर्ण की किसी ने हत्या कर दी है, फिर पुलिस ने उसके बेटे कर्ण की लाश उन्हें सौंप दी, जिस पर कर्ण को दफनाकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया था। बाद मे आसपास के लोगों व उसके पति से उसे पता चला कि मांगीलाल नाम का आदमी उसके पुत्र कर्ण को डेगाना रेल्वे स्टेशन से उठाकर डेगाना गांव लेकर गया और उसका कान काटकर उसकी हत्या कर दी।

15. प्रतिपरीक्षा में गवाह का कहना है कि उसके सबसे बड़ी लड़की करीब 10 साल की है, इसके बाद क्रमशः एक पुत्री 5 साल की, फिर एक लड़का चार साल का व इसके बाद कर्ण सबसे छोटा था। पुलिस ने बताया था कि

मांगीलाल ने उसके बेटे कर्ण को मारा है। उसने उसके पुत्र की लाश नहीं देखी, अजखुद कहा कि पुलिस ने लाश उसके पति को सौंप दी। मांगीलाल द्वारा उसके पुत्र को मारने की बात वह लोगों से व पुलिस से सुनने के आधार पर बता रही है। यह कहना गलत है कि मुलजिम ने उसके पुत्र की हत्या नहीं की हो और वह मुलजिम मांगीलाल को झूठा फंसाने के लिए आज न्यायालय में झूठे बयान दे रही हूं।

16. **गवाह पी.ड. 4 सुखराम** ने मुख्य परीक्षा में बताया कि वह दिनांक 25.01.2023 को कानि. के पद पर पीएस डेगाना में तैनात था। उस रोज थानाधिकारी नरेंद्र जाखड़ ने उसके सामने घटनास्थल का निरीक्षण कर फर्द नक्शा मौका मय हालात मौका मूर्तिब किया, जो प्रदर्श पी 6 है, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। उसी रोज घटनास्थल से तीन खून आलूंदा पत्थर व सादा मिट्टी अलग-अलग सफेद कपड़े की थैली मे डालकर सीलमोहर कर क्रमशः मार्क ए व बी अंकित किए जो क्रमशः फर्द जब्ती पत्थर व मिट्टी प्रदर्श पी 7 व पी 8 है, जिन पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। थानाधिकारी ने उसके सामने मृतक बालक करण का वक्त घटना पहना खून आलूंदा एक टोपीदार जैकेट जब्त कर कपड़े की थैली मे डालकर सीलमोहर कर मार्क सी अंकित किया, फर्द जब्ती जैकेट पी 9 है, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। फिर दिनांक 26.01.2023 को उक्त थानाधिकारी ने उसके सामने मुलजिम मांगीलाल पुत्र केवलराम को थाना परिसर से ही गिरफ्तार कर फर्द गिरफ्तारी मूर्तिब की, जो प्रदर्श पी 10 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। जैर हिरासत मुलजिम मांगीलाल की माफिक इत्तलानुसार घटनास्थल तस्दीक की गई, फर्द तस्दीक घटनास्थल प्रदर्श पी 11 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। मुलजिम की माफिक इत्तलानुसार उसने जिस स्थान से बालक करण का अपहरण किया, उस स्थान की घटनास्थल तस्दीक की गई, फर्द तस्दीक घटनास्थल प्रदर्श पी 12 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। मुलजिम की इत्तलानुसार घटनास्थल से एक मानव कान का टुकड़ा व एक पर्स बरामद कर उनको अलग-अलग प्लास्टिक की थैली मे डालकर कपड़े की थैली मे डालकर सीलचेपा कर क्रमशः मार्क डी व मार्क

अंकित किया, फर्द जब्ती प्रदर्श पी 13 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। उक्त कान व पर्स के बरामदगी स्थल का नक्शा मौका मूर्तिब किया गया, जो प्रदर्श पी 14 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है।

17. प्रतिपरीक्षा में गवाह का कहना है कहना कि जैकेट को सीएचसी डेगाना पर मोर्चरी रूम से वक्त पोस्टमोर्टम जब्त किया था। जैकेट की जब्ती के वक्त उसके अतिरिक्त अन्य पुलिसकर्मी व कुछ ग्रामीण मौजूद थे। यह सही है कि प्रदर्श पी 11, पी 13 व पी 14 वाले स्थान पर जब वह पूर्व में पहली बार घटनास्थल पर गये, तब कान का टुकड़ा व पर्स वक्त निरीक्षण नहीं दिखे, अजखुद कहा कि उक्त स्थान प्रदर्श पी 6 घटनास्थल से थोड़ा अलग है, जो पास में ही स्थित है। यह कहना गलत है कि उसके सामने मौके पर कोई कार्यवाही नहीं हुई हो।

18. **गवाह पी.ड. 5 दीपक मीणा** ने मुख्य परीक्षा में बताया कि वह दिनांक 25.01.2023 को कानि. के पद पर पीएस डेगाना में तैनात था। उस रोज वह थानाधिकारी नरेंद्र जाखड़ के साथ डेगाना गांव गया था, जहां पर थानाधिकारी को परिवादी लक्ष्मणसिंह ने एक टाईपसुदा रिपोर्ट पेश की, जिस रिपोर्ट को थानाधिकारी ने उसे मुकदमा दर्ज करने हेतु पीएस डेगाना रिपोर्ट सहित भेजा, जिस पर वह थाने पहुंचा व वहां हेड कानि. अर्जुनलाल को उक्त रिपोर्ट पेश की, जिन्होंने कार्यवाही पुलिस कर मुकदमा दर्ज किया, रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 है, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। फिर दिनांक 26.01.2023 को थानाधिकारी ने उसके सामने हाजिर अदालत मुलजिम मांगीलाल को थाना परिसर से जरिये फर्द गिरफ्तार किया, जो प्रदर्श पी 10 है, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है

19. प्रतिपरीक्षा के दौरान गवाह ने कथन किया कि यह कहना गलत है कि मुलजिम की गिरफ्तारी की सूचना उसके किसी परिजन को नहीं दी हो बल्कि उसके मामा को दी थी।

20. **गवाह पी.ड. 6 अकबर हुसैन** ने मुख्य परीक्षा में बताया कि पुलिस ने उसके सामने मृतक बालक करण पुत्र रमेश की लाश का पंचनामा बनाया, फर्द पंचनामा लाश प्रदर्श पी 4 है, जिस पर वाई 1 स्थान पर उसकी अंगुठा

निशानी है। बाद पोस्टमोर्टम करण की लाश को उसके पिता रमेश को वास्ते अंतिम संस्कार सुपूर्द किया गया था, फर्द सुपूर्दगी लाश प्रदर्श पी 5 है, जिस पर वाई 1 स्थान पर उसकी अंगुठा निशानी है।

21. **गवाह पी.ड. 7 गुलाम स्या** ने मुख्य परीक्षा में बताया कि पुलिस ने उसके सामने मृतक बालक करण पुत्र रमेश की लाश का पंचनामा बनाया, फर्द पंचनामा लाश प्रदर्श पी 4 है, बाद पोस्टमोर्टम करण की लाश को उसके पिता रमेश को वास्ते अंतिम संस्कार सुपूर्द किया गया था, फर्द सुपूर्दगी लाश प्रदर्श पी 5 है, उक्त पर कमशः वाई 2 स्थान पर उसकी अंगुठा निशानी है।

22. **गवाह पी.ड. 8 डॉ. जीवण चौधरी** ने मुख्य परीक्षा में बताया कि वह दिनांक 25.01.2023 को एम.ओ के पद पर उप. जिला चिकित्सालय, डेगाना मे तैनात था। उस रोज पुलिस प्रतिवेदन पर मृतक बालक करण पुत्र रमेश, जाति सोनार, उम्र 3 माह के पोस्टमोर्टम हेतु सीएमएचओ, नागौर के आदेश पर बोर्ड का गठन है, जिस बोर्ड का अध्यक्ष वह व सदस्यों के रूप मे डॉ. जगदीश बावरी व डॉ. कार्तिक कुमार शामिल थे, उस बोर्ड ने उक्त मृतक बालक करण के मृत्त शरीर का पोस्टमोर्टम कर रिपोर्ट तैयार की, पुलिस द्वारा दिया गया प्रतिवेदन प्रदर्श पी 15 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। बोर्ड गठन का सीएमएचओए नागौर का आदेश प्रदर्श पी 17 है। मृतक करण की पोस्टमोर्टम रिपोर्ट प्रदर्श प्रदर्श पी 16 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर, सी से डी व ई से एफ क्रमशः डॉ. जगदीश बावरी व डॉ. कार्तिक कुमार के हस्ताक्षर हैं, जो वह उनका सहकर्मी होने से उनके हस्ताक्षर पहचानता है। उस बोर्ड ने उक्त मृतक करण की लाश का बाह्य परीक्षण करने पर पाया कि वो मध्यम विकसित व पूर्ण पोषित था, उसकी दोनो आंखे बंद थी, उसके शरीर पर राईगर मोर्टिस मौजूद था व डिपेंडेट पार्ट पर पी.एम स्टेनिंग मौजूद थी, उसका मूंह बंद था। उसकी पुतलियां फिक्स व डायलेटेड थी। मृतक के शरीर पर निम्न चोटें पाई गईः- चोट सं. 1 कुचला हुआ घाव, 6 सेमी गुणा 5 सेमी, दांये कान के पीना पर ईअर पिना का कुछ भाग अनुपस्थित था। चोट सं. 2 कुचला हुआ घाव, 3 सेमी गुणा 3 सेमी, सिर के उपर की ओर बीच मे चोट सं. 3 दांयी ओर की क्लेविकल अस्थि मे अस्थिभंग

था व पास मे सूजन थी। उस बोर्ड ने उक्त मृतक करण की लाश का पोस्टमोर्टम कर रिपोर्ट प्रदर्श पी 16 तैयार की, जिसमें जी से एच उनकी राय है, जिसके अनुसार मृतक की मृत्यु सिर मे आई चोट के फलस्वरूप न्यूरोजेनिक शॉक से हुई थी, जो कि मृत्यु के लिए पर्याप्त था, उक्त वर्णित सारी चोटें मृत्यु के पूर्व की थी। मृतक का डी.एन.ए पहचान फॉर्म प्रदर्श पी 18 है, जिस पर ए से बी उसके सी से डी व ई से एफ क्रमशः डॉ. जगदीश बावरी व डॉ. कार्तिक कुमार के हस्ताक्षर हैं। एफटीए कार्ड पर मृतक के रक्त का नमूना लिया, जिसकी फर्द प्रदर्श पी 19 है, जिस पर ए से बी उसके, सी से डी व ई से एफ क्रमशः डॉ. जगदीश बावरी व डॉ. कार्तिक कुमार के हस्ताक्षर हैं, एक्स स्थान पर नमूना सील अंकित है।

23. **गवाह पी.ड. 9 गीता देवी** ने, मुख्य परीक्षा में बताया कि आज से करीब 2 साल पहले शाम की बात है। मुलजिम मांगीलाल उसका नाणदा है। मुलजिम मांगीलाल उनके घर आया, उसके हाथ में एक छोटा बच्चा था, मांगीलाल ने बच्चा उसे दिखाते हुए कहा कि यह लो मामीजी यह आपका पोता है, जिस पर उसने मांगीलाल को कहा कि तेरी शादी नही हुई, यह बच्चा कहां से व किसका उठाकर लेकर आया है, इसके बाद न तो मांगीलाल कुछ बोला और न वह कुछ बोली और वह अपने पति को उक्त बात कहकर घर मे चली गई। फिर जब वह अगले दिन उठे तो गांव के सरपंच लक्ष्मण जी से पता चला कि मांगीलाल जिस बच्चे को लेकर घूम रहा था, उसकी लाश गांव के बाहर पड़ी है। इसके अलावा उसने कुछ नही सुना। मांगीलाल बच्चा कहां से लाया, उसने नही सुना।

24. **गवाह पी.ड. 10 शांतिप्रकाश** ने मुख्य परीक्षा में बताया कि आज से करीब दो-सवा दो साल पहले की बात है। मुलजिम मांगीलाल उसका भाणजा है। मांगीलाल उसके घर आया था और उससे खर्चे के 100 रूपये लेकर गया था, इसके करीब 10 दिन बाद शाम के समय मांगीलाल एक छोटे बच्चे को लेकर उसके घर पर आया था, मांगीलाल ने बच्चा उसकी पत्नी को दिखाकर कहा कि यह लो मामीजी पोता है, फिर वह घर के अंदर से बाहर आया व उसने व उसकी पत्नी ने मांगीलाल को कहा कि तेरी तो शादी नही हुई, यह

बच्चा कहां से आया, जिस पर उसने कोई जवाब नही दिया और उसने उसे उसके घर से बाहर निकाल दिया। फिर वो गांव मे बच्चे को लेकर फिरता रहा, फिर गांव वालो ने कानाफूसी की कि इसके हाथ मे पहले तो बच्चा था, वो अब कहां गया, बाद मे वो बच्चे नही दिखने पर पूरे गांव मे कानाफूसी होने लगी, फिर गांव वालो ने सरपंच व पुलिस को उक्त घटनाक्रम की सूचना दी थी, फिर दूसरे दिन उक्त बच्चा गांव के बाहर मृत मिला था, जिसे गांव के कुछ लोगों ने देखा और फिर पूरे गांव को पता चला और पुलिस को भी पता चल गया। बच्चे को मुलजिम ने ही मारा था क्योंकि वो ही उसे लेकर आया था।

25. गवाह प्रतिपरीक्षा में कथन करता है कि जब मांगीलाल 14 वर्ष का था, तब उनके घर से निकला था, इसके बाद जब वह बच्चा लेकर आया, तभी उनके घर आया, इससे पुर्व कभी नहीं आया। घटना से 10 दिन पूर्व जब वह मांगीलाल को उनके घर आना बता रहा है तथा बच्चे लेकर उनके घर आना बता रहा है। जिस समय मांगीलाल के बच्चे लेकर उसके घर पर आने की बात वह बता रहा है, उस वक्त वह घर के अंदर था, बाहर नहीं था। यह सही है कि उसने उस वक्त मांगीलाल से बच्चे के संबंध में कोई बात नहीं की थी, फिर कहा कि उसके बात हुई थी, जो करीब 2 मिनट हुई थी। उसे दिनांक 25.01.2023 को पता चला था कि गांव के बाहर एक मृत बच्चा मिला है।

26. **गवाह पी.ड. 11 चंद्रप्रकाश** ने मुख्य परीक्षा में बताया कि वह दिनांक 25.01.2023 को कानि. के पद पर पीएस डेगाना में तैनात था। उस रोज थानाधिकारी श्री नरेंद्र जाखड़ ने उसके सामने घटनास्थल का निरीक्षण कर फर्द नक्शा मौका मय हालात मौका मूर्तिब किया, जो प्रदर्श पी 6 है, जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर है। उसी रोज उक्त थानाधिकारी ने घटनास्थल से तीन खून आलूंदा पत्थर व सादा मिट्टी अलग-अलग सफेद कपड़े की थैली मे डालकर सीलमोहर कर क्रमशः मार्का ए व बी अंकित किया, जो क्रमशः फर्द जब्ती पत्थर व मिट्टी प्रदर्श पी 7 व पी 8 हैं, जिन पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर है। मुलजिम मांगीलाल की माफिक इत्तलानुसार घटनास्थल तस्दीक की गई, फर्द तस्दीक घटनास्थल प्रदर्श पी 11 है, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। मुलजिम की माफिक इत्तलानुसार उसके द्वारा जिस

स्थान से बालक करण का अपहरण किया गया, उस स्थान की घटनास्थल तस्दीक की गई, फर्द तस्दीक घटनास्थल प्रदर्श पी 12 है, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। मुलजिम की इत्तला से घटनास्थल से एक मानव कान का टुकड़ा तथा एक पर्स बरामद कर उनको अलग-अलग प्लास्टिक की थैली मे डालकर कपड़े की थैली मे डालकर सीलबंद कर क्रमशः मार्क डी व ई अंकित किया, फर्द जब्ती प्रदर्श पी 13 है, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। उक्त कान व पर्स के बरामदगीस्थल का नक्शा मौका मूर्तिब किया गया, जो प्रदर्श पी 14 है, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। उक्त दिनांक को ही उसके द्वारा घटनास्थल पर मृतक बालक व घटनास्थल की फोटोग्राफी उसके मोबाईल से की गई व फोटोग्राफ को डेवलेप करवा थानाधिकारी को पेश किये, उक्त फोटोग्राफी बाबत् धारा 65 बी का प्रमाण-पत्र प्रदर्श पी 20 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है तथा फोटोग्राफ्स प्रदर्श पी 21 लगायत प्रदर्श पी 24 हैं।

27. प्रतिपरीक्षा में गवाह ने कथन किया कि उक्त मानव कान का टुकड़ा व पर्स मुलजिम की इत्तलानुसार बरामद किया था।

28. **गवाह पी.ड. 12 अर्जुनलाल** ने मुख्य परीक्षा में बताया कि वह दिनांक 25.01.2023 को हेड कानि. के पद पर पीएस डेगाना मे तैनात था। उस रोज थानाधिकारी श्री नरेंद्र जाखड, थानाधिकारी डेगाना ने परिवादी लक्ष्मणसिंह द्वारा पेशसुदा एक रिपोर्ट थाने के कानि. दीपक मीणा के साथ थाना डेगाना पर उसके पास कायमी मुकदमा हेतु भेजी थी, जो रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 है, जिस पर जी से एच उसके द्वारा थाने पर की गई कार्यवाही पुलिस का अंकन व आई से जे उसके हस्ताक्षर है। उक्त कार्यवाही पुलिस का अंकन करने के उपरांत उसके मु.नं. 25/2023, अंतर्गत धारा 302 भा.द.सं. मे पंजीबद्ध की, चाक एफआईआर प्रदर्श पी 2 है, जिस पर ए से बी दीपक मीणा के हस्ताक्षर है, जो उसके अधीनस्थ होने से उसके हस्ताक्षर पहचानता है। उक्त कार्यवाही करने के उपरांत उक्त मूल रिपोर्ट व चाक एफआईआर अग्रिम कार्यवाही हेतु दीपक मीणा, कानि. के साथ पुनः श्री नरेंद्र जाखड़ के पास भेज दी थी।

29. प्रतिपरीक्षा में गवाह कथन करता है किउसे रिपोर्ट प्राप्त होने व रिपोर्ट दर्ज

करने का समय अलग-अलग है, स्वयं कहता है कि रिपोर्ट प्राप्त होते ही तुरंत दर्ज कर दी थी, जिसमें करीब 5 मिनट का समय लगा था।

30. **गवाह पी.ड. 13 भूराराम** ने मुख्य परीक्षा में बताया कि वह दिनांक 25.01.2023 को हेड कानि. के पद पर मालखाना ईंचार्ज के रूप मे पीएस डेगाना पर पदस्थापित था। उस रोज प्र.सं. 25/2023 मे जब्तशुदा सीलबंद वजह सबूत एक पैकेट मार्क सी जमा मालखाना हेतु श्री नरेंद्रसिंहए थानाधिकारी डेगाना व दिनांक 28.01.2023 को पांच सीलबंद पैकेट मार्क ए, बी, डी व ई व एक एफटीए कार्ड जमा मालखाना हेतु कानि. चंद्रप्रकाश ने उसे सुपूर्द किये थे, जिस पर उक्त सभी वजह सबूत को थाने के मालखाना मे जमा कर मालखाना रजिस्टर की मद सं. 301/2023 पर इंद्राज किया, असल मालखाना रजिस्टर प्रदर्श पी 25 है, जिसकी प्रति प्रदर्श पी 25/1 है, जिसमें ए से बी भाग मे जमा माल का अंकन है, सी से डी वजह सबूत को एफएसएल मे भेजने व प्राप्ति रसीद का अंकन है।

31. **गवाह पी.ड. 14 रामजीलाल** ने मुख्य परीक्षा में बताया कि वह दिनांक 01.03.2023 को कानि. के पद पर पीएस डेगाना पर पदस्थापित था। उस रोज मालखाना प्रभारी ने उसे प्र.सं. 25/2023 मे जब्तशुदा सीलबंद छः पैकेट एफएसएल परीक्षण हेतु मय थाने के अग्रेषण पत्र के सुपूर्द किये, जिनको लेकर वह एसपी कार्यालय, नागौर गया, जहां से एफएसएलए जयपुर के नाम अग्रेषण पत्र जारी करवाकर उक्त सभी पैकेट को सीलबंद अवस्था मे ही एफएसएल जयपुर मे जमा करवाकर प्राप्ति रसीद प्राप्त की। एसपी कार्यालय, नागौर द्वारा जारी अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी 26 है तथा एफएसएल द्वारा जारी प्राप्ति रसीद प्रदर्श पी 27 है।

32. **गवाह पी.ड. 15 सुखराम चोटिया** ने मुख्य परीक्षा में बताया कि उसने दिनांक 03.02.2023 को पुलिस लाईन नागौर से थानाधिकारी पीएस डेगाना के पद पर कार्यभार ग्रहण किया था। उस रोज उसे पीएस डेगाना के प्र.सं. 25/2023, अंतर्गत धारा 302 भादस की पत्रावली वास्ते अनुसंधान चार्ज मे प्राप्त हुई, जिस पर उसके द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया जाकर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। दौराने अनुसंधान दिनांक 28.02.2023 को

चंद्रप्रकाश कानि. ने अस्पताल से मृतक की पी.एम.आर रिपोर्ट, अग्रेषण पत्र, पहचान-फॉर्म सीलबंद प्रादर्श, सैंपल ब्लड ऑन एफटीए कार्ड लाकर पेश किये, जिनको थाने के मालखाने मे जमा करवा मालखाना रजिस्टर की मद संण् 301/2023 पर अंकन किया, मालखाना रजिस्टर की प्रति प्रदर्श पी 25/1 है, जिसके ए से बी भाग मे जमा माल का अंकन, सी से डी एफएसएल परीक्षण हेतु भेजने व प्राप्ति रसीद का अंकन है। प्रकरण मे जब्तसुदा प्रादर्श को एफएसएल परीक्षण हेतु दिनांक 01.03.2023 को कानि. रामजीलाल को मय थाने के अग्रेषण पत्र सुपूर्द किया, जिसने एसपी कार्यालय नागौर जाकर एफएसएल जयपुर के नाम अग्रेषण पत्र जारी करवा प्रादर्श को एफएसएल जयपुर मे जमा करवा प्राप्ति रसीद थाने पर लाकर पेश की, एसपी कार्यालय का अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी 26 व प्राप्ति रसीद प्रदर्श पी 27 है। प्रकरण मे एफएसएल परीक्षण हेतु भेजे गये प्रादर्श की बाद एफएसएल परीक्षणसुदा रिपोर्ट कमशः प्रदर्श पी 28 व पी 29 हैं। दौराने अनुसंधान प्रकरण के गवाहान रामजीलाल व गीता के बयान उनके कथनानुसार लेखबद्ध कर शामिल मिसल किये। थाने के कानि. चंद्रप्रकाश द्वारा घटनास्थल की फोटोग्राफी की गई थी, इस बाबत् उसके द्वारा धारा 65 बी का प्रमाण-पत्र पेश किया गया था, जिसे उसके द्वारा प्राप्त कर शामिल मिसल किया, जो प्रदर्श पी 20 है, जिस पर ए से बी चंद्रप्रकाश व सी से डी उसके हस्ताक्षर है। प्रकरण की रोजनामचा रपटें प्रदर्श पी 30 व पी 31 हैं, जिन पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। बाद संपूर्ण अनुसंधान मुलजिम मांगीलाल पुत्र केवलराम के विरूद्ध धारा 302, 365 भा.द.सं. का अपराध प्रमाणित मान चार्जशीट सं. 39 दिनांक 17.04.2023 कता कर आरोप पत्र सक्षम न्यायालय मे पेश किया गया

33. **गवाह पी.ड. 16 नरेन्द्र** ने मुख्य परीक्षा में बताया कि वह दिनांक 25.01.2023 को थानाधिकारी पीएस डेगाना के पद पर तैनात था। उस रोज थाने पर इत्तला मिली कि एक छोटे बच्चे की लाश डेगाना गांव मे पड़ी है, जिस पर इत्तला पाकर वह मय जाब्ता मौके पर पहुंचाए जहां देखा कि वहां डेगाना गांव के बाहर पत्थरों के पास मे करीब 3.4 माह के छोटे बच्चे की लाश पड़ी थी, जिसके सिर में चोट लगी हुई थी व खून आ रहा था, मौके पर ही परिवादी

लक्ष्मणसिंह ने एक टाईपसुदा रिपोर्ट उसके समक्ष पेश की, जो रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 है, जिस पर ए से बी परिवादी के हस्ताक्षर है, उक्त रिपोर्ट पर उसके मौके पर ही कार्यवाही पुलिस कर कायमी मुकदमा हेतु कानि. दीपक मीणा के साथ मुकदमा दर्ज करने हेतु पीएस डेगाना भेजा जिस पर थाने पर मौजूद हेड कानि. अर्जुनलाल ने कार्यवाही पुलिस का अंकन कर मु.नं. 25/2023, अंतर्गत धारा 302 भा.द.सं. मे पंजीबद्ध कर कार्यवाही हेतु रिपोर्ट पुनः मौके पर उसके पास भेजी, पी 1 पर ई से एफ उसके द्वारा की गई कार्यवाही पुलिस का अंकन व के से एल उसके हस्ताक्षर है। चाक एफआईआर प्रदर्श पी 2 है, जिस पर ए से बी परिवादी व उसके डिजिटल हस्ताक्षर है। उसके द्वारा उक्त मृतक बालक करण पुत्र रमेश की लाश की फर्द सूरतहाल व पंचनामा मूर्तिब की, जो क्रमशः प्रदर्श पी 3 व पी 4 हैं, जिन पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है, पी 3 पर ए से बी मौतबीर के हस्ताक्षर व एक्स 1 स्थान पर मौतबीर की अंगुठा निशानी है, पी 4 पर ए से बी मौतबीर के हस्ताक्षर व एक्स वाई 1 व वाई 2 स्थान पर मौतबीर की अंगुठा निशानी है। उक्त मृतक की लाश को उसके पिता रमेश को सुपूर्द किया, जो फर्द सुपूर्दगी प्रदर्श पी 5 है, जिस पर ए से बी मौतबीर के हस्ताक्षर व एक्स, वाई 1 व वाई 2 स्थान पर मौतबीरान की अंगुठा निशानी है, व उसके नाम लिखा है। उसके द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर फर्द नक्शा मौका मय हालात मौका मूर्तिब किया, जो प्रदर्श पी 6 है, जिस पर ए से बी परिवादी, सी से डी व ई से एफ मौतबीरान तथा जी से एच उसके हस्ताक्षर है। उसी रोज घटनास्थल से तीन खून आलूंदा पत्थर व सादा मिट्टी अलग-अलग सफेद कपड़े की थैली मे डालकर सीलमोहर कर कमशः मार्क ए व बी अंकित किया, जो कमशः फर्द जब्ती पत्थर व मिट्टी प्रदर्श पी 7 व पी 8 है, जिन पर ए से बी परिवादी, सी से डी व ई से एफ मौतबीरान तथा जी से एच उसके हस्ताक्षर है, एक्स स्थान पर नमूना सील अंकित है। उसके द्वारा मृतक बालक करण का वक्त घटना पहना खून आलूंदा एक टोपीदार जैकेट जब्त कर कपड़े की थैली में डालकर सीलमोहर कर मार्क सी अंकित किया फर्द जब्ती जैकेट पी 9 है, जिस पर ए से बी, सी से डी मौतबीरान, ई से एफ उसके हस्ताक्षर है, एक्स स्थान पर

नमूना सील अंकित है। दिनांक 26.01.2023 को उसके द्वारा मुलजिम मांगीलाल पुत्र केवलराम को थाना परिसर से ही गिरफ्तार कर फर्द गिरफ्तारी मूर्तिब की, जो प्रदर्श पी 10 है, जिस पर ए से बी, सी से डी मौतबीरान, ई से एफ उसके हस्ताक्षर, एक्स स्थान पर मुलजिम की अंगुठा निशानी व एक्स 1 स्थान पर मुलजिम की फोटो चस्पित है। जैर हिरासत मुलजिम मांगीलाल ने धारा 27 साक्ष्य अधिनियम के तहत उक्त मृतक को उठाकर ले जाया जाकर जहां पर पटककर उसकी हत्या की, उस स्थान के बारे मे इत्तला दी, जो प्रदर्श पी 32 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर, एक्स स्थान पर मुलजिम की अंगुठा निशानी है। उक्त पी 32 इत्तला के अनुक्रम मे मुलजिम की निशादेही से घटनास्थल तस्दीक कर फर्द तस्दीक घटनास्थल प्रदर्श पी 11 मूर्तिब की, जिस पर ए से बी, सी से डी मौतबीरान, ई से एफ उसके हस्ताक्षर, एक्स स्थान पर मुलजिम की अंगुठा निशानी है। जैर हिरासत मुलजिम मांगीलाल ने धारा 27 साक्ष्य अधिनियम के तहत उक्त मृतक को जहां से उठाकर अपहृत किया, उस स्थान के बारे मे इत्तला दी, जो प्रदर्श पी 33 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर, एक्स स्थान पर मुलजिम की अंगुठा निशानी है, पी 33 के अनुक्रम मे मुलजिम की निशादेही से घटनास्थल तस्दीक कर फर्द तस्दीक घटनास्थल प्रदर्श पी 12 मूर्तिब की गई, जिस पर ए से बी, सी से डी मौतबीरान, ई से एफ उसके हस्ताक्षर, एक्स स्थान पर मुलजिम की अंगुठा निशानी है। जैर हिरासत मुलजिम मांगीलाल ने धारा 27 साक्ष्य अधिनियम के तहत उक्त मृतक के कान का टुकड़ा काटकर जहां पर्स के साथ छिपाया, उस स्थान के बारे मे इत्तला दी, जो प्रदर्श पी 34 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर, एक्स स्थान पर मुलजिम की अंगुठा निशानी हैं, पी 34 के अनुक्रम मे मुलजिम की इत्तलानुसार घटनास्थल से एक मानव कान का टुकड़ा व एक पर्स बरामद कर उनको अलग.अलग प्लास्टिक की थैली मे डालकर कपड़े की थैली मे डालकार सील चेपा कर क्रमशः मार्क डी व मार्क ई अंकित कर जब्त किया, फर्द जब्ती प्रदर्श पी 13 है, जिस पर ए से बी, सी से डी मौतबीरान, ई से एफ उसके हस्ताक्षर, एक्स स्थान पर मुलजिम की अंगुठा निशानी व वाई स्थान पर नमूना सील अंकित है। उक्त कान व पर्स के

बरामदगी स्थल का नक्शा मौका मूर्तिब किया गया, जो प्रदर्श पी 14 है, जिस पर ए से बी, सी से डी मौतबीरान, ई से एफ उसके हस्ताक्षर, एक्स स्थान पर मुलजिम की अंगुठा निशानी है। उक्त मृतक का पोस्टमोर्टम करवाने हेतु एम.ओ सीएचसी डेगाना को उसके द्वारा लिखा गया पत्र प्रदर्श पी 15 है, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर, एक्स स्थान पर मृतक बालक की फोटो चस्पित है। उक्त मृतक बालक का पोस्टमोर्टम करवा रिपोर्ट प्राप्त कर शामिल मिसल की। मौके पर ही उक्त बालक की लाश जहां पड़ी थी, वहां घटनास्थल के फोटोग्राफ खींचवाकर फोटोग्राफ को डेवलेप करवा शामिल मिसल किये, जो फोटोग्राफ्स प्रदर्श पी 21 लगायत प्रदर्श पी 24 हैं, जिन पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त वजह सबूत को थाने के मालखाना मे जमा करवा मालखाना रजिस्टर की मद सं. 301/2023 पर इंद्राज किया, असल मालखाना रजिस्टर प्रदर्श पी 25 है, जिसकी प्रति प्रदर्श पी 25/1 है, जिसमें ए से बी भाग मे जमा माल का अंकन है, सी से डी वजह सबूत को एफएसएल मे भेजने व प्राप्ति रसीद का अंकन है। उक्त प्रादर्श को दिनांक 01.03.2023 को सीलबंद अवस्था मे मय थाने के अग्रेषण पत्रांक 822/2023 दिनांक 01.03.2023 को कानि. रामजीलाल को सुपूर्द किया, जिसने एसपी कार्यालय नागौर जाकर एफएसएल जयपुर के नाम पत्र जारी करवा प्रादर्श को जमा करवा प्राप्ति रसीद प्राप्त की, एसपी कार्यालय का अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी 26 है, प्राप्ति रसीद प्रदर्श पी 27 है। उक्त प्रादर्श की परीक्षणसुदा एफएसएल रिपोर्ट प्रदर्श पी 28 व पी 29 हैं। दौराने अनुसंधान प्रकरण के गवाहान लक्ष्मणसिंह, रमेश, सोनीदेवी, शांतिप्रकाश के बयान उनके कथनानुसार लेखबद्ध कर शामिल मिसल किये। प्रकरण से संबंधित रोजनामचा रपटें प्रदर्श पी 35 लगायत पी 38 हैं, जिन पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त अनुसंधानोपरांत मुलजिम के विरूद्ध धारा 302 व 365 भा.द.सं. का अपराध प्रमाणित माना व उसके स्थानांतरण अन्यत्र हो जाने से पत्रावली थाने पर चार्ज मे नव पदस्थापित थानाधिकारी को सुपूर्द की

34. प्रतिपरीक्षा में गवाह कथन करता है कि यह कहना गलत है कि मुलजिम के साथ उक्त बालक को साथ घूमते हुए किसी ने नहीं देखा हो, स्वयं कहता है

कि परिवादी ने बताया था कि मुलजिम मृतक बालक को गोद में लेकर घूम रहा था। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी 9 के जरिये मृतक के परचेजातर्श् उसके माता-पिता की उपस्थिति में नहीं लिये थे।

35. प्रकरण के अभियुक्त मांगीलाल के विरूद्ध धारा 302 व 365 भारतीय दंड संहिता का आरोप विरचित किया हुआ है जो कि आहत रमेश पुत्र जगु के छोटे बच्चे का अपहरण कर उसकी हत्या कारित करने के संबंध मे विरचित हुए है। इस संबंध में परिवादी पक्ष द्वारा दर्ज कराई लिखित रिपार्ट का अवलोकन करें तो उनके गांव के बाहर की तरफ डेगाना शहर की तरफ जाने वाली सड़क के पास, पत्थरों के ढेर के पास में एक छोटे बालक की लाश पड़ी होने, जिसका दाहिना कान कटा होने, मांगीलाल द्वारा उक्त मृतक को बालक को घटना से एक दिन पूर्व गांव में लेकर घूमने, मांगीलाल द्वारा उक्त बच्चे को मारकर सड़क के पास पत्थर की ढेरी के पास फैंककर चले जाने के तथ्य प्रकट है। जिस संबंध में पत्रावली पर आई साक्ष्य का अवलोकन करें तो प्रकरण में परीक्षित गवाहान पी.ड. 1 लक्ष्मणसिंह जो कि घटना का परिवादी भी है, जिसने अपने बयानों में अपने द्वारा प्रस्तुत लिखित रिपोर्ट की ताईद करते हुए उसके गांव के बाहर एक बालक का शव पड़ा होने, उक्त बालक घटना से पूर्व अभियुक्त मांगीलाल के पास होने, जिसे वह गांव में लेकर घूम रहे होने का कथन किया है, उक्त गवाह के प्रतिपरीक्षा का अवलोकन करें तो उक्त गवाह की साक्ष्य दौराने प्रतिपरीक्षण अखण्डित प्रकृति की रही है।

36. प्रकरण में परीक्षित अन्य महत्वपूर्ण गवाह पी.ड. 2 रमेश व पी.ड. 3 सोनी देवी जो मृतक बालक के पिता व माता है, उन्होंने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि वह डेगाना रेल्वे स्टेशन पर रह रहे होने, उनके चार संताने होने, जिनमें एक पुत्र होने, गवाह पी.ड. 2 रमेश भीख मांगने के लिए डेगाना जाने, पीछे से उसके पुत्र को मांगीलाल उठाकर ले जाने, पुलिस द्वारा उन्हें उनके मृत पुत्र की फोटो बताने पर उनके द्वारा पहचानने का कथन किया है, उक्त फोटो में उनके पुत्र का दाहिना कान कटा हुआ होने का कथन किया है। जिरह में उक्त गवाहान ने यह कथन स्वीकार किया कि उनके पुत्र करण को मांगीलाल उठाकर ले गया। इस प्रकार उक्त गवाहान की साक्ष्य बालक की

हत्या के संबंध में दौराने जिरह अखण्डित रही है तथा ना ही अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा अभियुक्त द्वारा उक्त घटना कारित नहीं करने के संबंध में किसी प्रकार का प्रतिपरीक्षण उक्त गवाहान से किया गया है।

37. प्रकरण में परीक्षित अन्य गवाह पी.ड. 9 गीता देवी व पी.ड. 10 शांतिप्रकाश अभियुक्त के मामी व मामा है, जिन्होंने अपने मुख्य परीक्षण में मांगीलाल उनके घर पर आने व उसके साथ एक बालक होने और उनका पोता बताने, जिस पर गवाहान द्वारा यह कहने की तुम्हारी शादी नहीं हुई है तो यह बच्चा किसका है व कहां से उठाकर लाए, जिस पर मांगीलाल द्वारा कुछ नहीं बताने, अगले दिन उन्हें पता चला कि जिस बच्चे को लेकर वह घूम रहा है उसकी लाश गांव के बाहर मिलने का कथन किया है। उक्त गवाहान की साक्ष्य भी दौराने प्रतिपरीक्षण अखण्डित रही है।

38. प्रकरण में परीक्षित उपरोक्त गवाहान की साक्ष्य का अवलोकन करें तो उक्त गवाहान पी.ड. 1 लक्ष्मणिसंह, पी.ड. 2 रमेश, पी.ड. 3 सोनीदेवी, पी.ड. 9 गीता देवी व पी.ड. 10 शांतिप्रकाश के कथनों से अभियुक्त मांगीलाल द्वारा मृत बालक को उनकी माता–पिता की अनुमति के बिना उसका अपहरण कर लाना प्रकट है तथा उक्त सभी गवाहान ने अपनी साक्ष्य में यह कथन किया कि घटना से एक दिन पूर्व मृत बालक उसके पास था जिसे वह गांव में लेकर घूम रहा था, जिसे गांव वालों ने देखा था। प्रकरण में परीक्षित गवाह पी.ड. 9 गीतादेवी व पी.ड. 10 शांतिप्रकाश जो अभियुक्त मांगीलाल के मामी व मामा के रूप में परीक्षित हुए हैं उन्होंने अपने बयानों में यह स्पष्ट कथन किया कि मांगीलाल उक्त बालक को उनके घर लेकर गया था। उक्त गवाहों की साक्ष्य से यह पूर्णतः स्पष्ट है कि अभियुक्त मांगीलाल ने मृत बालक का अपहरण किया था तथा उसके पश्चात उसकी हत्या कारित कर उसे गांव के बाहर फैंक दिया था।

39. इसी क्रम में प्रकरण में परीक्षित चिकित्स साक्षी पी.ड. 8 डॉ. जीवणराम चौधरी की साक्ष्य का अवलोकन करें तो उक्त गवाह द्वारा मृत बालक का पोस्टमार्टम कर पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार करने का कथन किया गया है। उक्त गवाह ने आगे अपने बयानों में यह भी कथन किया कि बालक के शरीर पर

चोटें कारित थी जिसमें उसके दांये कान के पीना पर ईअर पिना का कुछ भाग अनुपस्थित था, सिर के उपर की ओर बीच में चोट कारित थी, दांई ओर क्लेविकल अस्थि में अस्थिभंग कारित था तथा उनके मृतक की मृत्यु सिर में आई चोट के फलस्वरूप न्यूरोजेनिक शॉक से होने का कथन किया है। इस संबंध में प्रकरण में प्रदर्शित पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श पी 16 का अवलोकन करें तो उक्त रिपोर्ट में बालक की मृत्यु का कारण यह अंकित किया गया कि– In our best knowledge our openion of cause of death is "neurogenic shock due to head injuery. which is significant cause of death & Antemortem in Nature. इस प्रकार पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी बालक की मृत्यु का कारण उसके सिर पर आई चोट से होना अंकित है, तथा हत्या से पूर्व उसका दाहिना कान भी विच्छेद था, जिससे यह प्रकट है कि अभियुक्त मांगीलाल द्वारा बालक की निर्ममता व क्रूरतापूर्व हत्या कारित की गई।

40. प्रकरण में परीक्षित अन्य गवाह पी.ड. 4 सुखराम जो नक्शा मौका व फर्द बरामदगी का गवाह है, जिसने अपने बयानों मे मुलजिम की इत्तिलानुसार घटनास्थल से एक मानव कान का टुकड़ा व एक पर्स बरामद करने का कथन किया है। इसी क्रम में प्रकरण में परीक्षित गवाह पी.ड. 11 चंद्रप्रकाश की साक्ष्य का अवलोकन करें तो उक्त गवाह भी नक्शा मौका व फर्द बरामदगी का गवाह है, जिसने भी अपने मुख्य परीक्षण में मुलजिम की इत्तिलानुसार जिस स्थान से बालक का अपहरण किया गया तथा जिस स्थान पर बालक की हत्या कारित की गई उक्त घटनास्थल का मौका मुआयना करने, तथा अभियुक्त की इत्तिलानुसार घटनास्थल से एक मानव कान का टुकड़ा व एक पर्स बरामद करने का कथन किया है। उक्त गवाहान ने अपनी साक्ष्य में घटनास्थल से बालक के जैकेट व कपड़े को बरामद किया गया, जिस पर खून लगा हुआ था। उपरोक्त साक्ष्य के परिपेक्ष्य में पत्रावली पर प्रदर्शित प्रदर्श पी 28 एफएसएल रिपोर्ट का अवलोकर करें तो उक्त रिपोर्ट के अनुसार Interpretation of DNA examination–

1– Same male DNA Profile was obtained from exhibit no. 3

(Jacket of beceased), 4 (Ear piece recovered from accused), 5 (Purse recovered from accused) and 6 (papers recovered form accused).

2- Alleles of female DNA profile obtained from exhibit no. 7(Blood Sample of deceased on FTA Card) is not matching with the male DNA profile obtained from exhibit no. 3 (Jacket of Deceased), 4 (Ear piece recovered from accused), 5 (Purse recovered from accused) and 6 (papers recovered form accused).

41. इस प्रकार एफएसल रिपोर्ट से भी यह प्रमाणित है कि बालक के जैकेट पर लगा खून जो प्रदर्श पी 3 जैकेट बरामद हुआ, उस पर लगा खून व कान के टूकडे का डीएनए सैम्पल मैच हुआ है, तथा उक्त कान का टूकड़ा अभियुक्त की इत्तिलानुसार उससे बरामद होना प्रकट है।

42. प्रकरण में अभियुक्त द्वारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के इत्तिला दी गई जो प्रदर्श पी 32 से प्रर्दश पी 34 है। प्रदर्श पी 32 के अनुसार मुलजिम मांगीलाल ने स्वेच्छा से इत्तिला दी कि ''मैं जिस छोटे बालक को उठा करके लेकर के गया था, उस बालक की मैने जिस जगह पर हत्या करके उसको पटका था, उस स्थान को मैं आपके साथ चलकर बता सकता हूं।'' प्रदर्श पी 33 के अनुसार मुलजिम मांगीलाल ने स्वेच्छा से इत्तिला दी कि ''मैंने उस छोटे बालक का जिस स्थान से अपहरण करके अपने साथ लेकर गया था, उस स्थान को मैं आपके साथ चलकर बता सकता हूं, जिसकी जानकारी केवल मुझे ही है।'' प्रदर्श पी 34 के अनुसार मुलजिम मांगीलाल ने स्वेच्छा से इत्तिला दी कि ''मैंने उस छोटे बालक की हत्या करने से पहले से उस बालक का कान काट करके मेरे पर्स में रखा था, उस कान के टुकड़े व पर्स को मैंने जिस स्थान पर छुपा करके रखा है, उस स्थान व पर्स आदि को मैं आपके साथ चलकर बता सकता हूं, जिसकी जानकारी केवल मुझे ही है।''

43. इस प्रकार हस्तगत प्रकरण में प्रदर्श पी 32 से प्रदर्श पी 34 अभियुक्त की इत्तिला जिसमें अभियुक्त द्वारा बालक का अपहरण करने, हत्या करने व हत्या

से पूर्व उसका कान काटने का कथन स्वीकार किया है, जिससे यह प्रकट है कि अभियुक्त द्वारा ही बालक का अपहरण कर उसका कान काटकर उसकी हत्या कारित की गई। तथा प्रकरण में उक्त पर्स में से जो कान बरामद हुआ है उसका डीएनए सैम्पल मृत बालक के डीएनए सैम्पल से मैच भी हुआ है, जो एफसएल रिपोर्ट से प्रकट है।

44. प्रकरण में गवाह पी.ड. 15 सुखराम चोटिया व पी.ड. 16 नरेन्द्र जाखड़ प्रकरण के अनुसंधान के रूप में परीक्षित हुए हैं, जिन्होंने अपने मुख्य परीक्षण में अपने द्वारा किए गए अनुसंधान को प्रमाणित करते हुए साक्ष्य दी है, उक्त गवाहान ने भी अपनी साक्ष्य में अभियुक्त द्वारा दी गई इत्तिला प्रदर्श पी 32 से प्रदर्श पी 34 अनुसार घटनास्थल का निरीक्षण करना बताया है तथा प्रदर्श पी 34 अनुसार मृत बालक का कान अभियुक्त के पर्स बरामद करने का कथन किया है।

45. प्रकरण में परीक्षित गवाह पी.ड. 13 भूराराम जो मालखाना इंचार्ज के रूप में परीक्षित हुआ है, जिसने अपने बयानो में प्रकरण में बरामद सीलबंद पैकेट मालखाना में जमा करने का कथन किया है। गवाह पी.ड. 14 रामजीलाल जो कि एफएसएल से संबंधित गवाह है, जिसने अपने बयानो में बरामद सीलबंद पैकेट एफएसएल जयपुर में जमा कराने का कथन किया है।

46. प्रकरण में परीक्षित अन्य गवाह पी.ड. 5 दीपक मीणा, पी.ड. 6 अकबर हुसैन, पी.ड. 7 गुलाम स्या, पी.ड. 12 अर्जुनलाल नक्शा मौका, फर्द पंचनामा लाश प्रदर्श पी 4 व लिखित रिपोर्ट से संबंधित गवाह होकर औपचारिक प्रकृति के गवाहन है, जिन्होंने अपने बयानों में अपने द्वारा दौराने अनुसंधान की गई कार्यवाही को प्रमाणित किया है।

47. इस प्रकार उपरोक्त किए गए विवेचन से यह तथ्य स्पष्ट है कि आरोपी/मांगीलाल द्वारा विभिन्न चरणों में बालक की मृत्यु सुसंगत संस्करण को दर्शाती है, जो इस प्रकार है:–

1– शिकायत जिसके परिणामस्वरूप प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुई(प्रदर्श पी)

2– इस न्यायालय के समक्ष पी.ड. 1 के रूप में परिवादी की गवाही,

पी.ड. 2 रमेश व पी.ड. 3 सोनी देवी की गवाही

3– पोस्मार्टम रिपोर्ट के अनुसार मुत्यु का कारण (प्रदर्श पी 16 में प्रदर्शित जी से एच भाग)

4– एफएसल रिपोर्ट

5– साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अभियुक्त का खुलासा(प्रदर्श पी 32 से प्रदर्श पी 34)

6– जांच अधिकारी श्री सुखपाल चोटिया व नरेन्द्र की गवाही(पी.ड. 15 व 16 के रूप में)

48. इन सभी चरणों से यह स्पष्ट है कि अभियुक्त मांगीलाल द्वारा बालक का उसकी माता–पिता की अनुमति के बिना गुप्त रीति से अपहरण कर उसका कान काटकर उसे पत्थरों पर गिराकर उसकी निर्मम हत्या कारित की गई – जो कि भारतीय दंड संहिता की धारा 365 व 302 के तहत अपराध के लिए दोषसिद्धि दर्ज करने के लिए पर्याप्त है।

49. अभियुक्त द्वारा जो कृत्य किया गया है वह जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है, समाज में बच्चों को सबसे मासूम और असहाय माना जाता है। वे पूरी तरह अपने माता–पिता और अभिभावकों पर निर्भर होते हैं। ऐसे में 3 महीने के बच्चे की हत्या जैसी घटना न केवल कानूनन गंभीर अपराध है, बल्कि मानवता को झकझोर देने वाली भी है। इतने छोटे बच्चे के पास न तो अपनी रक्षा करने की क्षमता होती है और न ही किसी तरह की समझ। उसकी हत्या करना क्रूरता की पराकाष्ठा है। यह केवल एक व्यक्ति के खिलाफ अपराध नहीं, बल्कि पूरे समाज और नैतिक मूल्यों के खिलाफ है। ऐसी घटनाएं समाज में भय और असुरक्षा का माहौल पैदा करती हैं। लोगों का विश्वास टूटता है और यह सवाल उठता है कि आखिर हमारे समाज में मानवता और संवेदनशीलता कहाँ जा रही है। इससे बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ती है।

50. इस प्रकार उक्त विवेचन से यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रकरण के अभियुक्त

मांगीलाल द्वारा रमेश के पुत्र जिसकी आयु लगभग तीन माह थी गुप्त रीति से अपहरण कर उसका कान काटकर उसे पत्थरों पर पटका जिससे उसके सिर पर चोटें आई जिसके फलस्वरूप बालक की मृत्यु हो गई। उपरोक्त तथ्यों के अभिलेख पर रहते हुए प्रकरण के अभियुक्त मांगीलाल के विरूद्ध धारा 365 व 302 भारतीय दंड संहिता अभियोजन विधिक ढंग से प्रमाणित किया गया।

51. अतः अभियुक्त मांगीलाल को जुर्म अन्तर्गत धारा 365 व 302 भारतीय दंड संहिता के तहत दोषसिद्ध करार दिए जाने योग्य है।

::आदेश::

52. परिणामस्वरूप अभियुक्त मांगीलाल पुत्र केवलराम निवासी जाखड़ो का बास, भोपालगढ़, पुलिस थाना भोपालगढ़, जिला जोधपुर को जुर्म अन्तर्गत धारा 365 व 302 भारतीय दंड संहिता के जुर्म में दोषसिद्ध करार दिया जाता है।

30.03.2026

(अरूण कुमार बेरीवाल),
सेशन न्यायाधीश, मेड़ता।

<u>सजा के बिन्दू पर सुनवाई</u>

53. सजा के बिन्दु पर सुना गया। अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से बहस है कि अभियुक्त अपने परिवार में कमाने वाला अकेला ही हैं, पूरा परिवार उसके उपर आश्रित है। अतः उनके साथ नरमी का रूख अपनाया जाकर न्यूनतम दंड से दंडित किया जावे।

54. जिसका विरोध विद्वान लोक अभियोजक ने यह कहते हुए किया कि अभियुक्त के विरूद्ध आहत बालक की निर्ममता व क्रूरतपूर्व तरीके से जानलेवा चोटें कारित कर उसकी मृत्यु कारित करने के तथ्य प्रमाणित पाए गए हैं। अत: आरोपित जुर्म की प्रकृति को देखते हुए अभियुक्त को दीर्घतम दण्ड से दंडित किया जावे।

55. उभय पक्षों के तर्को पर विचार किया एवं पत्रावली का परिशीलन किया। अभियुक्त मांगीलाल पुत्र केवलराम निवासी जाखड़ो का बास, भोपालगढ़, पुलिस थाना भोपालगढ़, जिला जोधपुर को जुर्म अन्तर्गत धारा 365 व 302 भारतीय दंड संहिता के तहत न्यायालय हाजा द्वारा दोषसिद्धी की गई है। न्यायालय की विनम्र राय में प्रकरण के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों व अपराध की गंभीरता को मध्येनजर रखते हुए अभियुक्त को की गई दोषसिद्धि के जुर्म हेतु निमनुसार दण्डादिष्ट करने का आदेश प्रदान किया जाता है–

<u>::दण्डादेश::</u>

56. परिणामस्वरूप अभियुक्त मांगीलाल पुत्र केवलराम निवासी जाखड़ो का बास, भोपालगढ़, पुलिस थाना भोपालगढ़, जिला जोधपुर को जुर्म धारा 365 भारतीय दण्ड संहिता के तहत **पांच वर्ष** के कठोर कारावास व 10,000/– रुपये के अर्थदंड से दण्डादिष्ट किया जाता है। अदम अदायगी अर्थदंड अभियुक्त 6 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतेगा।

57. अभियुक्त मांगीलाल पुत्र केवलराम निवासी जाखड़ो का बास, भोपालगढ़, पुलिस थाना भोपालगढ़, जिला जोधपुर को जुर्म अन्तर्गत धारा 302 भारतीय दंड संहिता के तहत **आजीवन कारावास** व अभियुक्त को 20,000/– रुपये

के अर्थदंड से दण्डादिष्ट किया जाता है। अदम अदायगी अर्थदंड अभियुक्त 1 वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतेगा।

58. अभियुक्त को दी गई सभी मूल सजाऐं साथ–साथ चलेगी तथा अभियुक्त द्वारा दौराने अनुसंधान एवं विचारण पुलिस एवं न्यायिक अभिरक्षा में व्यतीत की गई अवधि धारा 428 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत मुजरा प्राप्त करेंगे।

59. अभियुक्त को सजा भुगताने का सजा वारण्ट मूर्तिब किया जावे व उपकारापाल, मेडता को अभियुक्त को मय सजा वारण्ट के सजा भुगतने हेतु भेजा जावे।

60. प्रकरण में जप्त शुदा माल नियमानुसार निस्तारण हेतु संबंधित थानाधिकारी को बाद मियाद अपील, अपील न होने की सूरत में नष्ट करने हेतु तहरीर जारी की जावे।

61. निर्णय की सत्य प्रति अभियुक्त को निःशुल्क दी जावे।

(अरूण कुमार बेरीवाल)
सत्र न्यायाधीश, मेडता

62. निर्णय व दंडादेश आज दिनांक 30.03.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं हस्ताक्षरित किया गया।

सत्र न्यायाधीश, मेडता